न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 51/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. धर्मसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति–राजपूत,निवासी–अमरपुरा तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. अन्नपूर्णाकंवर बेवा गोविन्दसिंह 2. महावीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 3. प्रेमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 4. पृथ्वीसिंह पुत्र कल्याणसिंह जातियान–राजपूत,निवासी–अमरपुरा तहसील–जैतारण, जिला–पाली 5. हेमाराम पुत्र बगताराम 6. अर्जुनराम पुत्र अमराराम 7. छोटीदेवी बेवा अमराराम 8. कानाराम पुत्र पांचाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली छोटीदेवी पत्नि अमराराम जातियान–गुर्जर,निवासी–ओड़ावास 9. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.24/03/2017

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री उम्मेदसिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 28/06/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–अमरपुरा, ओड़ावास, भूम्बलिया व रामपुरा, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि **खाता संख्या 156** खसरा नम्बर 336 रकबा 10–07 बीघा किस्म सेवज दोयम, **खाता संख्या 56** खसरा नम्बर 377/3 रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, **खाता संख्या 34** खसरा नम्बर 73 रकबा 4–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 77 रकबा 18–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता–2 कुल रकबा 23–07 बीघा, **खाता संख्या 146** खसरा नम्बर 62 रकबा 38–10 बीघा किस्म नहर अव्वल, **खाता संख्या 2** खसरा नम्बर 63 रकबा 16–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 65 रकबा 18–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता–02 कुल रकबा 34–07 बीघा की आई हुई हैं। उक्त आराजी की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं और मौके पर पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार हिस्से माफिक कब्जा काश्त हैं और शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। नकल प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 तक संवत् 2071 से 2074 तक एवं संवत् 2072 से 2075 तक की प्रमाणित प्रति वाद–पत्र के साथ संलग्न हैं, जो वाद–पत्र का एक भाग माना जावें। उक्त वर्णित खाता संख्या 156, 56, 34, 146 व 2 में वर्णित खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से नाम व हिस्सा खातेदारी में दर्ज हैं। जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण ने मिलकर आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवाड़ा करके अलग हिस्से माफिक मौके पर उक्त आराजी खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि का बंटवाड़ा करके मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया और इसी हिस्से माफिक मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग–अलग

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कब्जा काष्त हैं और षांतिपूर्व बिना किसी रोकटोक एज ऑफ राईट के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा किया। जिसका विवरण अलग–अलग परिषिश्ट में दर्शाया जा रहा हैं, जो निम्न प्रकार हैं। परिषिश्ठ – 'क' (धर्मसिंह) सरहद मौजा–ओड़ावास में स्थित खसरा नम्बर 62 रकबा 12–10 बीघा, खसरा नम्बर 63 व 65 की कृषि भूमि में से रकबा 9–00 बीघा व मौजा–भूम्बलिया में स्थित खसरा नम्बर 336 रकबा 10–07 बीघा, कुल रकबा 31–17 बीघा वादी के हिस्से में रखी गई। शेष खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि सरहद मौजा–अमरपुरा, ओड़ावास, रामपुरा की कृषि भूमि में वादी का कोई हक हिस्सा व मालिकाना अधिकार नहीं रहेगा एवं वादी के हिस्से की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व मालिकाना अधिकार नहीं होगा। इसी हिस्से माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर नक्शे लट्ठा ट्रेस में तरमीम किया जाकर वादी का रेवेन्यू खाता व लगान अलग–अलग किये जाने हेतु दावा बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निशेधाज्ञा का पेश किया हैं। परिषिश्ठ – 'ख' सरहद मौजा–अमरपुरा व ओड़ावास में स्थित खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक के हिस्से में रखी गई, जिसके **खाता संख्या 34** खसरा नम्बर 73 रकबा 4–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 77 रकबा 18–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता–02 कुल रकबा 23–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, **खाता संख्या 146** खसरा नम्बर 62 रकबा 7–00 बीघा किस्म नहर अव्वल की आई हुई हैं। उक्त आराजी खसरा नम्बरान् की कुल रकबा 30–07 बीघा की कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक के हिस्से में रखी गई हैं। इसमें वादी एवं शेष प्रतिवादी संख्या 4 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं। उक्त आराजी की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के एज ऑफ राईट के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। इसी हिस्से माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर, नक्षा लट्ठा ट्रेस में तरमीम की जाकर प्रतिवादी का रेवेन्यू खाता व लगान अलग–अलग किये जाने हेतु दावा बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निशेधाज्ञा का पेश किया हैं। परिषिश्ठ – 'ग' सरहद मौजा–रामपुराव ओड़ावास में स्थित खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि **खाता संख्या 56** खसरा नम्बर 377/3 रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, **खाता संख्या 2** खसरा नम्बर 63 रकबा 16–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 65 रकबा 18–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता–02 कुल रकबा 34–07 बीघा की आई हुई हैं। उक्त आराजी की कृषि भूमि कुल रकबा 34–07 बीघा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 पृथ्वीसिंह के हिस्से में रखी गई। इसी हिस्से माफिक मौके पर शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक रोकटोक के एज ऑफ राईट के उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा हैं। इसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक कोई हक हिससा अधिकार नहीं हैं। इसी हिस्से माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर, नक्शाा लट्ठा ट्रेस में तरमीम की जाकर प्रतिवादी का रेवेन्यू खाता व लगान अलग–अलग किये जाने हेतु दावा बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निशेधाज्ञा का पेश किया हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण सभी एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं, जो स्वर्गीय कल्याणसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी औरत एवं जायन्दा पुत्रगण के हक में पारिवारिक बंटवाड़ा पक्षकारान् की मौजूदगी में दिनांक 16/06/1997 को बंटवाड़ा किया जाकर इसकी लिखापढी रूबरू मौतबीर गवाहान् हीरसिंह राठौड़ व मानसिंह निवासीगण–अमरपुरा वालों के सामने लिखापढी की थी। जिस पर सभी पक्षकारान् एवं गवाहान् के हस्ताक्षर हैं। इस लिखित बंटवाड़ा में दर्शाये हिस्सेनुसार मौके पर मना गना बंटवाड़ा करके कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से लेकर आज तक मौके पर अलग–अलग हिस्से अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त हैं और बिना किसी रोकटोक के उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। परन्तु सभी पक्षकारान् के राजस्व खाते अलग–अलग नहीं हैं। खातेदारी में सभी पक्षकारान् के संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज हैं। इसलिये वाद उचित किस्म की खाद डालकर अलग खेती करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में केसीसी बनाने ऋण लेने आदि में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा परिषिश्ठ क, ख, ग में अलग–अलग हिस्से माफिक खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि रकबा सहित दर्षायी हुई हैं। इसी हिस्सेनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाना चाहता हैं। यदि बंटवाड़ा नहीं किया गया, तो वादी अपने कानूनी जायज हक हकूकों से वंचित हो जायेगा। इसलिये वादी की तरफ से बंटवाड़ा व स्थाई निशेधाज्ञा का वाद–पत्र श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा हैं, जो आज ही नोटिस डिस्पेन्सविद किये जाने का आदेश फरमावें। नकल फोटो प्रति बंटवाड़ा लिखित की वाद–पत्र के साथ

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संलग्न हैं, जो वाद–पत्र का एक भाग माना जावें। प्रतिवादी संख्य 9 तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर हैं। राजस्व भूमि के मालिक हैं एवं बंटवाड़ा करने का अधिकार होने से कानूनी रूप से पक्षकार बनाया गया हैं। इसलिये आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 5 से 8 तक सहखातेदार काश्तकारान् हैं। इनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। केवल मात्र सहखातेदार होने से कानूनी प्रावधान होने से इनको प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया हैं। इनका हिस्सा बदस्तूर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। उसी अनुसार इनका हिस्सा रहेगा। बिनायवाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कानूनी रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने हेतु दिनांक 04/01/2017 को कहा था, तो प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करवाने से स्पष्ट रूप से मना करने पर वादी पटवारी हल्का–भूम्बलिया के पास दिनांक 05/01/2017 को तहसील कार्यालय जैतारण दिनांक 17/02/2017 को गया एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की एवं हल्का पटवारी – राबड़ियावास के पास दिनांक 18/02/2017 को गया। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त की एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति दिनांक 02/03/2017 को हल्का पटवारी – भूम्बलिया से प्राप्त करने पर बमुकाम–जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में होने के कारण अन्दर म्याद यह वाद–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने ईकबालिया जबाबदावा पेष किया, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 19/05/2017 को वकील मय वादी ने प्रार्थना पत्र वाद प्राथमिक डिक्री करने का मय प्रति0 संख्या 10 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक राबड़ियावास से नोड्यूज की प्रमाणित प्रति पेश कर प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक इकबालिया जबाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका हैं और शेष प्रतिवादी संख्या 5 से 8 तक की एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी हैं। प्रतिवादी संख्या 10 शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा–राबड़ियावास से नोड्यूज की प्रमाणित प्रति साथ पेश हैं। पत्रावली तलब कर प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश फरमावें।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र–बैंड़कलां में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा ईकबालिया जबाबदावें का गहनता से अध्ययन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 10 शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा–राबड़ियावास का नाम हटाया जाता हैं। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार जैतारण को प्राथमिक डिक्री की रिपोर्ट चाही गई थी। जो दिनांक 28.06.2017 को तहसीलदार जैतारण नें प्राथमिक डिक्री की पालना प्रस्तुत की है जो शामिल मिसल हो।

हमने वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 इकबालिया जबाबदावा एवं वादी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक बंटवाडा पत्र दिनांक 16.06.1997 एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की पालना का ध्यानपूर्वक अध्ययन/मनन किया गया लिहाजा वादी का वाद माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है।

:: आदेश ::

अतः अन्तिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि माफिक बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार हिस्सा निम्नानुसार रहेगाः–

वादी धर्मसिंह पुत्र कल्याण सिंह का हिस्सा

क्र. सं.	नाम प. मण्डल	नाम ग्राम	खाता सं.	ख. नं.	रकबा (वीघा में)	किस्म
1	भूम्बलिया	भूम्बलिया	156	336	10.07	सेवज दोयम
		ओडावास	2	63	9.00	बारानी अव्वल
		ओडावास	46	62/2	12.05	नहर अव्वल
कुल					31.12	

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अन्नपूर्णा कंवर पत्नि गोविन्द सिंह, महावीर सिह, प्रेम सिंह पिसरान गोविन्द सिंह जाति राजपूत का संयुक्त हिस्सा।

क्र. सं.	नाम प. मण्डल	नाम ग्राम	खाता सं.	ख. नं.	रकबा (वीघा में)	किस्त
1	राबडियावास	अमरपुरा	34	73 77	4.18 18.09	बारानी अव्वल बारानी अव्वल
2	भूम्बलिया	ओडावास	146	62/1	7.00	नहर अव्वल
कुल					30.07	

प्रतिवादी संख्या 4 पृथ्वी सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत का हिस्सा

क्र. सं.	नाम प. मण्डल	नाम ग्राम	खाता सं.	ख. नं.	रकबा (वीघा में)	किस्त
1	भूम्बलिया	रामपुरा	56	377/3	10.00	बारानी अव्वल
		ओडावास	2	63/1	7.06	बारानी अव्वल
				65/2	18.07	बारानी अव्वल
कुल					35.07	

प्रतिवादी संख्या 5 से 8 हेमाराम पुत्र बगताराम, अर्जन राम पुत्र अमराराम, छोटी देवी पत्नि अमराराम, कानाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता छोटी देवी पत्नि अमराराम जाति गुर्जर निवासी ओडावास।

क्र. सं.	नाम प. मण्डल	नाम ग्राम	खाता सं.	ख. नं.	रकबा (बीघा में)	किस्त
1	भूम्बलिया	ओडावास	146	62/2	19.05	नहर अव्वल
कुल					19.05	

सरहद मोजा रामपुरा के खसरा नं. 336 रकबा 10.07 बीघा में से पृथ्वी सिंह पुत्र कल्याण सिंह,का नाम मोजा ओडावास के खं नं. 63 रकबा 16.06 बीघा, ख.नं.65 रकबा 18.01 बीघा में से अन्नपूर्णा कंवर पत्नि गोविन्द सिंह, महावीर सिंह, प्रेम सिंह विसरान गोविन्द सिंह का नाम, सरहद मौजा अमरपुरा के ख. नं. 73 रकबा 4. 18 बीघा, खं.नं. 77 रकबा 18.09 बीघा में से पृथ्वीसिंह, धर्मसिंह पिसराम कल्याण सिंह के नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

तद्अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा में तरमीम हेतु तहसीलदार जैतारण को लिखा जावे।अन्तिम डिक्री पर्चा अलग से बनाया जाकर पत्रावलीबद्व किया जावे। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक **28.06.2017** को मजमा ए आम केम्प–सेवरिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)